

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी-कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या 07/2019

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

बसुदेवी पत्नी रमेश कुमार रावल  
निवासी रोहिडा, तहसील  
पिण्डवाडा जिला सिरौही

1. प्रबंधक निदेश, डेडिकेटेड फंट कोरिडोर कॉरपोरेशन, रेल मंत्रालय, पांचवी मंजिल मेट्रो स्टेशन परिसर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली
2. राज० सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा, जिला सिरौही

क्लेम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20च के खण्ड 6 रेल अधिनियम 1989, संशोधित अधिनियम 2008, सपटित प्रावधान अन्तर्गत मध्यस्थता अधिनियम 1996, विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा, जिला सिरौही द्वारा विशेष रेल परियोजना, पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन व प्रचालन हेतु तहसील पिण्डवाडा के ग्राम भांवरी में भूमि अधिग्रहण हेतु जारी अभिनिर्णय (अवार्ड) क्रमांक 1818 दिनांक 05.02.2013 के विरुद्ध ग्रीवेन्स/आपत्ति/क्षुब्धता एवं क्लेम

उपस्थिति -


1. श्री करणसिंह चौहान वकील प्रार्थी
2. श्री पी०के० पूनिया, अप्रार्थी सं० 1 की ओर से उपस्थित
3. अप्रार्थी सं० 2 स्वयं

निर्णय

दिनांक 12.07.2023

प्रस्तुत क्लेम/आपत्ति के मुख्य तथ्य इस प्रकार से हैं कि सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा, जिला सिरौही द्वारा विशेष रेल परियोजना, पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन व प्रचालन हेतु तहसील पिण्डवाडा के ग्राम भांवरी के विभिन्न खसरों की भूमि का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 5.8627 हैक्टर के अधिग्रहण हेतु समस्त विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर, अभिनिर्णय (अवार्ड) क्रमांक 1818 दिनांक 05.02.2013 जारी किया गया।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम भांवरी के खसरा नम्बर 1340 में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या बी-29 क्षेत्रफल 600 वर्गफीट में से .0041 हैक्टर भूमि अवाप्त


  
डिवीजनल कमिश्नर  
जोधपुर

की गई है, उसका मुआवजा राशि 129267/- रुपये आवासीय दर से निर्धारित किया जाकर भुगतान किया गया है। प्रार्थीया के अनुसार भूखण्ड अवाप्ति के समय 500/- प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा दिलवाया जावे। शेष भूमि का भुगतान एवं निर्माण क्षति, सामग्री नष्ट होने, पुनर्वास हर्जाना दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र के कम में अप्रार्थी सं० 1 परियोजना प्रबंधक डीएफसीसीआईएल आबूरोड (सिरोही) द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार अवाप्त भूमि का मूल्यांकन 20ए नोटिफिकेशन की दिनांक को लागू डीएलसी दर 156/- प्रति वर्गफीट के आधार पर नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीया की आपत्तियों को भी विधि अनुसार निस्तारित किया गया है। माईग्रेशन की सहायता राशि मान्य नहीं है, क्योंकि आवास अवाप्त नहीं किया गया है। अवाप्तशुदा सम्पत्ति में कोई आवास शामिल नहीं है, जिसकी पुष्टि संयुक्त माप सर्वेक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि केवल मात्र कम्पाउंड वाल का ही निर्माण मौके पर किया गया था।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराया गया एवं 500/- प्रति वर्गफीट आवासीय दर से अवाप्तशुदा भूखण्ड का मुआवजा निर्धारण एवं अन्य क्षतिपूर्ति राशि देने का कथन किया। जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को खारीज योग्य होने से खारीज करने बाबत निवेदन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी ने भी बहस में कथन किया कि अवाप्ति की कार्यवाही के समय प्रार्थीया की अवाप्तशुदा आवासीय भूखण्ड के मूल्यांकन में 20ए नोटिफिकेशन जारी होने की दिनांक को प्रचलित आवासीय डीएलसी दर 156/-रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा निर्धारित कर, अवार्ड जारी किया गया है, जो नियमानुसार है। अवार्ड निर्धारण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी प्रकार की तथ्यों की भूल नहीं की गई है और नियमों का पालन किया गया है।


हमने दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली एवं रेकॉर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन एवं मनन किया। परियोजना प्रबंधक डीएफसीसीआई द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार 20ए नोटिफिकेशन की दिनांक को अवाप्तशुदा सम्पत्ति की डीएलसी दर 156/- प्रति वर्गफीट थी और नियमानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त डीएलसी दर के आधार विधि अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। प्रार्थीया द्वारा आधारहीन रूप से 500/-प्रति वर्गफीट मुआवजे की मांग की गई है, जो स्वीकार

  
डिविजनल कमिश्नर  
जायपुर

किए जाने योग्य नहीं है। संयुक्त माप सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार भी मौके पर कोई निर्माण नहीं, केवल कम्पाउण्ड वाला होना अंकित है एवं कोई आवास/निर्माण नहीं होने से निर्माण क्षति, सामग्री नष्ट होने, पुनर्वास हर्जाना दिलवाये जाने का कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं है। प्रार्थीया को 60 प्रतिशत सोलेशियम, पुनर्वास अनुदान सहित रूपये 129267/- अवार्ड राशि का भुगतान होना जाहिर है। अन्य चाहे गये अनुतोष विधि अनुसार नहीं होने से देय नहीं है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना पत्र नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रोषणीय नहीं होने से खारीज योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 05.02.2013 में प्रार्थीया के भूखण्ड संख्या बी-19 में से अवाप्त क्षेत्रफल की हद तक कोई हस्तक्षेप उचित नहीं होने से यथावत रखा जाता है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12 जुलाई, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


  
(कैलाश चन्द मीना)  
मध्यस्थ एवं  
डिवीजनल कमिश्नर  
जोधपुर

क्रमांक: सं.आ./जोधपुर/आर्बीट्रेटर/2023/320-321

दिनांक 17-07-2023

प्रतिलिपी :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है -

1. मुख्य परियोजना प्रबन्धक/महाप्रबंधक(सिविल), डी.एफ.सी.सी.आई.एल. (भारत सरकार), 42ए/3 सिविल लाईन, अजमेर (राज०)।
2. सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा जिला सिरोही।

  
(कैलाश चन्द मीना)  
मध्यस्थ एवं  
डिवीजनल कमिश्नर  
जोधपुर